ग्रेटर नोएडा औधोगिक विकास प्राधिकरण

एच0 169, सेक्टर गामा, ग्रेटर नोएडा

जिला गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांकः- सम्पति/किसान-आबादी/2017/10439 दिनाँक 27/10 /2017

सेवा में,

श्री हरी किशन सिंह पुत्र श्री रामचन्द्र
निवासी- ग्राम–गुलिस्तानपुर
जिला-गौतमबुद्ध नगर।

महोदय,

इस कार्यालय के पत्रांक सम्पति / किसान आबादी / 2011 / 1641 दिनांक 28.02.2011 में वर्णित आवंटन संख्या–GUL01120 द्वारा आपको ग्राम–गुलिस्तानपुर की प्रस्तावित आबादी में भूखण्ड संख्या-197,पाकेट–ए, क्षेत्रफल-170 वर्ग मीटर आबादी विस्तार हेतु आवंटित किया गया था। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि सक्षम प्राधिकारी मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अनुमोदन के द्वारा उपरोक्त भूखण्ड संख्या–197,पाकेट–ए, क्षेत्रफल-170 वर्ग मीटर के स्थान पर ग्राम पाली की प्रस्तावित आबादी में भूखण्ड संख्या–27, क्षेत्रफल-170 वर्ग मीटर आवंटित करने का निर्णय किया गया है। अतः उपरोक्त आदेश पत्रांक संख्या सम्पति / किसान आबादी / 2011 / 1641 दिनांक 28.02.2011 को संशोधित करते हुए भूखण्ड संख्या–197,पाकेट–ए, क्षेत्रफल-170 वर्ग मीटर के स्थान पर ग्राम / सैक्टर–पाली की प्रस्तावित आबादी में भूखण्ड संख्या–27, क्षेत्रफल-170 वर्ग मीटर आबादी विस्तार हेतु आवंटित किया जाता है। इसके साथ ही आपको यह सूचित कराना है कि मूल आवंटन पत्र में मांगी गयी धनराशि के अतिरिक्त 64.7% अतिरिक्त प्रतिकर के मद में रूपये 1,02,850 / – जमा कराने की मांग की जाती है। उक्त धनराशि जमा कराने के उपरान्त ही पट्टा प्रलेख आदि की कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा।

शेष नियम व शर्ते पूर्ववत ही रहेंगी।

भवदीय,

27/10

प्रबन्धक, सम्पत्ति